पत्रांक–9 / पद–05–01 / 2019सा0प्र0............................ /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक............................ / 2019

विषय– **बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को विरमित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय आदेश संख्या 8502 दिनांक– 26.06.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 10511 दिनांक 01.08.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक अधिसूचना / आदेश द्वारा श्री सुरेश प्रसाद, आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण पटना एवं श्रीमती सुप्रिया कुमारी, आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना में आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। परन्तु अभी तक उक्त दोनों कर्मी द्वारा पदस्थापित विभाग / कार्यालय में योगदान हेतु विरमित किये जाने एवं योगदान किये जाने की सूचना अप्राप्त है।

अतएव श्री सुरेश प्रसाद एवं श्रीमती सुप्रिया कुमारी दोनों आप्त सचिव को दिनांक 23.09.2019 तक पदस्थापित विभाग / कार्यालय में योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय। निधारित तिथि तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त कर्मी दिनांक 24.09.2019 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा माह सितम्बर, 2019 का वेतनादि नव पदस्थापित विभाग / कार्यालय से भुगतान किया जायगा।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 9 / पद–05–01 / 2019सा0प्र0..13130.. / पटना–15, दिनांक..20-09-.. / 2019

प्रतिलिपिः– ~~श्री~~ सुरेश प्रसाद, आप्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग / ~~श्री~~ श्रीमती सुप्रिया कुमारी ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विकास भवन, पटना / विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/9/19

सरकार के अवर सचिव।